मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
भोपाल (म.प्र.)

पंचायत निर्वाचन
पंच एवं सरपंच के पद के मतों की गणना

यह पावरप्वाईंट प्रजेन्टेशन मतों की गणना के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करता है। इस संबंध म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम 95 के अध्याय 10 एवं रिर्टनिंग आफिसर के लिए हस्तपुस्तिका के अध्याय 21 के नियम प्रावधान एवं आयोग द्वारा जारी निर्देशो का अध्ययन करें।

पंच एवं सरपंच के पदों की मतगणना

मतदान समाप्ति के पश्चात पंच एवं सरपंच पद की मतपेटी सील होने तथा जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, के मतदान वाली ई. व्ही.एम. सील होने के पश्चात मतदान केन्द्र पर केवल पंच एवं सरपंच पद के मतों की गणना की जायेगी । ई.व्ही.एम. से हुए मतदान के मतों की गणना निर्वाचन की अधिसूचना द्वारा जारी तिथि पर विकासखण्ड मुख्यालय पर की जायेगी ।

मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी

1.मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 73 से 80 में वर्णित कार्यवाही करने के लिए प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को उसके मतदान केंद्र पर डाले गए मतों की गणना आदि करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

2.यदि किसी मतदान केंद्र के मामले में पूर्व में यह निर्णय लिया गया हो कि मतगणना वही पर की जाएगी, परंतु मतदान के दिन वहां पर किसी अप्रत्याशित घटना के कारण तनाव व्याप्त हो जाए और ऐसा प्रतीत हो कि मतगणना में हिंसा या गड़बड़ी हो सकती है, जिसे उपलब्ध सुरक्षाकर्मी रोक नहीं पाएंगे तो आप मतगणना स्थगित करने का निर्णय ले सकते हैं । ऐसी स्थिति में मतगणना अधिसूचना द्वारा जारी तिथि पर विकासखण्ड मुख्यालय पर की जायेगी ।

3.किसी अप्रत्याशित स्थिति में केंद्र पर मतगणना स्थगित किए जाने पर मतगणना के परिवर्तित स्थान और समय की सूचना मतदान केंद्र मैं उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके अभीकर्ताओं को दी जाए । इस निमित्त परिशिष्ट 8 में सूचना की एक प्रति केंद्र में आम जानकारी के लिए प्रदर्शित (चस्पा) करें और दूसरी प्रति पर उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके अभीकर्ताओं के हस्ताक्षर अंगूठा निशान लेकर उसे अभिलेख लेख में रखें ।

मतगणना की बैठक व्यवस्था

मतदान केंद्र पर की जाने वाली मतगणना के लिए केंद्र पर बैठक व्यवस्था को पुनः जमा लें । उपलब्ध मेजों को मिलाकर एक बड़ी मेज बना ले । मेज के मुख्य किनारे पर, आप बैठे तथा दाएं और बाएं और के किनारों पर गणना सहायकों (मतदान अधिकारियों) को बैठाए । आपके सामने, मेज से कुछ फासले पर अभ्यर्थियों तथा उनके निर्वाचन / गणना अभिकर्ता के बैठने की व्यवस्था करें। यदि मतदान केंद्र पर व्याप्त संख्या में मेज उपलब्ध ना हो तो बैठने की व्यवस्था फर्श पर, दरी पर या चादर बिछाकर की जाए । मतगणना के लिए आवश्यक सामग्री को निकाल कर अपनी मेज के पास रख लें ।

मतगणना कक्ष में प्रवेश / उपस्थिति

निर्वाचन नियम 74 के अनुसार मतगणना कक्ष में केवल प्राधिकृत व्यक्ति ही उपस्थित रह सकते हैं । ऐसे व्यक्तियों में निम्नांकित व्यक्ति हो सकते हैं ।

1.जिन्हें मतगणना करने में रिटर्निंग ऑफिसर / प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है ।

2.जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ।

3.निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यरुड़ लोक सेवक ।

4.अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता / गणना अभिकर्ता ।

5.यदि गणना कक्ष में अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हो तो फिर उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है ।

6.जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य पदों के अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं को पंच एवं सरपंच पद की गणना के दौरान उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है । ऐसे सभी व्यक्तियों को बाहर जाने के लिए कहा जाए ।

मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रारूप 11 में की गई है । इसकी एक प्रति आपको प्रस्तुत करेगा । इससे घोषणा वाले भाग पर आप गणन अभिकर्ता के सामने हस्ताक्षर कराएं और उसे सत्यापित करें । ऐसा करने के उपरांत ही गणन अभिकर्ता गणना कक्ष में उपस्थित रहने का अधिकारी होगा ।

किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मतगणना के दौरान आपके विधि पूर्वक निर्देशों का पालन ना करें, गणना कक्ष से बाहर भेज दिया जाए । कक्ष में उपस्थित व्यक्तियों को बराबर अंदर बाहर आने जाने से मना करें । कक्ष में धूम्रपान पूरी तरह निशिद्ध किया जाए ।

गणना के पूर्व मतपेटियों का निरीक्षण

मतगणना के लिए मतदान पर प्रयुक्त सभी मत पेटियों को एक के बाद एक खोला जाए । मत पेटियां खोलने के पहले उन्हें उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभी कर्ताओं को देखने का अवसर दिया जाए ताकि वह आश्वस्त हो सके कि किसी मतपेटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है ।

मतपेटियों को खाली किया जाना

मतपेटियों के निरीक्षण एवं सीलो की अक्षुण्ता के बारे में आश्वस्त होने के उपरांत मतपेटी खोलकर सभी मतपत्रों को निकाले जाएं । उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके अभीकर्ताओं को इस बारे में अपना समाधान कर लेने दिया जाए की मत पेटी में से सारे मतपत्र निकाल लिए हैं और उसके अंदर कोई मतपत्र नहीं बचा है ।

उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात मतपत्रों को पलट कर रख लें और पंचों के मतपत्रों की वार्ड वार अलग-अलग गड्डियां बनाएं । मतपत्रों की वार्डवार छटनी, मतपत्र के पीछे अंकित सुभेदक मोहर में वार्ड क्रमांक देखकर आसानी से की जा सकती है ।

इसी प्रकार सरपंच के मतपत्रों की भी अलग-अलग गड्डी बना लें ।

मतपत्रों की संख्या का विवरण अंकित करना

प्रत्येक वार्ड के पंच के निर्वाचन में डाले गए कुल मतपत्रों की संख्या उस वार्ड से संबंधित गड्डी में शामिल मतपत्रों की गिनती करके ज्ञात की जाएगी । मतपत्रों की इस संख्या की प्रविष्टि मतपत्र लेखा प्रारूप 15 के भाग-2 और गणना परिणाम पत्र प्रारूप 16 में की जाए ।

इसी प्रकार सरपंच के कुल मतपत्रों की संख्या की प्रविष्टि मतपत्र लेखा प्रारूप 15 के भाग 2 और गणना परिणाम प्रारूप 17 में की जाए ।

मत पत्रों की संवीक्षा (जांच) और गणना

उपर्युक्त वर्णित कार्यवाही के पूर्ण होने के पश्चात सर्वप्रथम प्रत्येक वार्ड से पंच के स्थान सीट के लिए मतपत्रों का अभ्यर्थी वार छटनी और संवीक्षा (जांच) की जाए । इसी प्रकार सरपंच पद के लिए भी कार्यवाही की जाए । मतपत्रों की अभ्यर्थीवार संवीक्षा करते समय ऐसे मत पत्रों को अलग रख दिया जाए जो संदेहास्पद हो अर्थात जिन्हें देखकर आसानी से यह विनिश्चय नहीं किया जा सकता है कि वह वैध है या प्रतिक्षेपित करने लायक ।

पंच एवं सरपंच से संबंधित संदेहास्पद मत पत्रों की संवीक्षा प्राधिकृत अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) द्वारा सावधानी से एक-एक करके की जाए । ऐसी संवीक्षा में, जो मतपत्र किसी अभ्यर्थी के पक्ष में मान्य किए जाएं, उन्हें उस अभ्यर्थी के पक्ष में पड़े मतपत्रों की गड्डी में शामिल किया जाए तथा जो मतपत्र अंतिम रूप से प्रतिक्षेपित (ख़ारिज़) किए जाएं, उन्हें प्रतिक्षेपित मतपत्रों की एक अलग गड्डी में रखा जाए ।

प्रतिक्षेपित (खारिज) किए गए ऐसे प्रत्येक मतपत्रों को जिसे कोई अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता देखना चाहे उसे दिखाया जाए परंतु मतपत्र को हाथ में लेकर देखने की अनुमति न दी जाए । प्रतिक्षेपित प्रत्येक मतपत्र के पीछे आप इस प्रयोजन के लिए दी गई निम्नांकित मोहर लगाएं और उसमें यथा स्थान मतपत्र ख़ारिज करने के कारण का सूक्ष्म उल्लेख करते हुए अपने हस्ताक्षर करें ।

प्रतिक्षेपित (खारिज)

आधार ....

नियम 76 (1)................................

हस्ताक्षर -

निर्वाचन नियम 1995 के नियम 76 के अनुसार कोई मतपत्र प्रतिक्षेपित (ख़ारिज) कर दिया जाएगा यदि

1. उस पर ऐसा कोई चिन्ह या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है या
2. वह बनावटी मतपत्र है, या,
3. वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्य ता स्थापित नहीं की जा सकती है, या,
4. वह मतदान केंद्र में उपयोग में लाए जाने के लिए प्राधिकृत मतपत्रों के अनुक्रमांक को से भिन्न अनुक्रमांक या परिकल्प (डिजाइन) से भिन्न परिकल्प का है, या

5. उस पर सुभेदक मुहर नहीं लगी है या / पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, या

6. उसमें एक से अधिक अभ्यर्थी के खाने पर चिन्ह लगाया गया हैं या

7. उस पर उस प्रयोजन के लिए भी हित उपकरण या युक्ति (अर्थात् दी गई घूमने वाले तीरों की मोहर) विभिन्न उपकरण या युक्ति सेट चिन्ह लगाया गया है, या

8. मतांकन का चिन्ह पृष्ठ भाग पर या पूरी तरह छायाकृत स्थान के अंदर बना है ।

9. उस पर मताकंन का चिन्‍ह नहीं लगा है ।

किसी मतपत्र को केवल इस कारण से प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा कि

1.किसी एक ही अभ्यर्थी के खाने में एक से अधिक चिन्ह लगाए गए हैं या

2.एक अभ्यर्थी के खाने में स्पष्ट चिन्ह के अतिरिक्त उसके पृष्ठ भाग गहरे रंग वाले छाया कृत स्थान में भी चिन्ह लगाया गया है या

3.मूल चिन्ह किसी एक अभ्यर्थी के खाने में स्पष्ट रुप से बना है किंतु मत पत्र को गलत ढंग से मुड़ने के कारण उसकी छाप अन्य अभ्यर्थी के खाने में बन गई है । (मूल चिन्ह और उसकी छाप में अंतर करना आसान है मूल चिन्ह तीरों की दिशा घड़ी की सुईयों के घूमने की दिशा के विपरीत रहती है छाप में तीरों की दिशा इससे उल्टी अर्थात घड़ी की सुईयों के घूमने की दिशा में हो जाएगी इस आधार पर छाप तथा मूल चिन्ह मैं सफलतापूर्वक भेद किया जा सकता है ।)

4. चिन्ह किसी एक अभ्यर्थी के खाने में लगा है, परंतु किसी दूसरे अभ्यर्थी के खाने में भी धब्बा बन गया है, या

5. मतपत्र के पीछे कोई सुभेदक मोहर और हस्ताक्षर नहीं है, परंतु प्राधिकृत अधिकारी को यह समाधान हो जाए कि चूक पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी द्वारा की गई किसी भूल या असावधानी के कारण हुई है या

6. मत उपदर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, यदि मतपत्र चिन्हित किए जाने के ढंग से यह स्पष्ट हो जाए कि मतदाता की मंशा किस अभ्यर्थी को (अपना) मत देने की थी या,

7. मतदाता द्वारा मतपत्र को हाथ में लेते समय असावधानी के कारण उसके अंगूठे के निशान का धब्बा बन गया है ।

मतों की गणना और अभ्यर्थियों को मिले मतों का आख्यापन (ऐलान)

संवीक्षा के उपरांत, निर्वाचन लड़ने वाले विभिन्न अभ्यर्थियों को मिले विधि मान्य मतों की गणना की जाए और तत्पश्चात प्रतिक्षेपित (खारिज़) मतपत्र को गिना जाए । गणना परिणाम की प्रविष्ठियां सुसंगत परिणाम पत्र पंच के लिए प्रारूप 16 एवं सरपंच के लिए प्रारूप 17 में अंकित किया जाए ।

मतगणना पूर्ण होने पर उस स्थान (सीट)से निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले विधि मान्य मतों की संख्या का आख्यापन (एलान) सर्व संबंधित की जानकारी के लिए किया जाए । उल्लेखनीय है कि आख्यापन से अभिप्राय निर्वाचन की घोषणा से नहीं है । इसका अभिप्राय केवल, उच्च मतदान केंद्र में विभिन्न अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों की संख्या का ऐलान किया जाने से है । किसी भी स्थान (सीट) से किसी अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करने का अधिकार आपको नहीं है । ऐसी घोषणा खंड / तहसील मुख्यालय पर अगले दिन रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत द्वारा (सारणिकरण पूर्ण हो जाने और निर्वाचन का विवरण तैयार हो जाने के पश्चात पृथक से की जाएगी ।)

मतों की पुनर्गणना

विधिमान्य मतों की संख्या का आख्यापन किए जाने पर यदि कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता चाहे तो मतपत्रों के पुनः गणना की मांग कर सकता है किंतु उसके लिए उसे उन आधारों का वर्णन करते हुए दिन पर वह ऐसी पुनर्गणना की मांग करता है, लिखित में आवेदन करना होगा । उसे ऐसा करने के लिए आख्यापन के पश्चात कुछ समय दें । पुनर्गणना हेतु आवेदन प्राप्त होने पर आप उस में उल्लेखित आधारों के बारे में विचार करें । आप आवेदन को पूर्णता या अंशत: मंजूर कर सकते हैं अथवा उस दशा में जबकि आवेदन तुच्छ या और युक्ति युक्त कारणों पर आधारित हो, उसे अमान्य कर सकते हैं किंतु आपका ऐसा हर विनिश्चय कारणों सहित लिखित में होना चाहिए ।

पुनर्गणना आवेदन स्वीकार करने का विनिश्चय

यदि आप पुनः गणना हेतु आवेदन पत्र को पूर्णत: या अंशत: स्वीकार करने का विनिश्चय करें तो अपने विनाश के अनुसार मतपत्रों की पुनर्गणना करें । गणना परिणाम पत्र को पुनः गणना के पश्चात् आवश्यकतानुसार अनुसार संशोधित करें । किए गए ऐसे संशोधन के पश्चात प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त विधि मान्य मतों की संख्या का पूनः आख्यापन (ऐलान) करें । पुन: गणना से आशय प्रत्येक मतपत्र की (चाहे वह किसी उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया वेद मतपत्र मानकर उसकी गड्डी में रखा गया हो अथवा प्रतिक्षेपित (ख़ारिज) किया गया हो ।) की पुनः संवीक्षा जाँच और पुनः गणना से है । उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात गणना परिणाम पत्र को पूरा भर कर उस पर अपने हस्ताक्षर करें । इसके बाद पुनः गणना के लिए कोई आवेदन पत्र ग्राह्य नहीं होगा ।

विधिमान्य मतों तथा प्रतिक्षेपित मतों की गड्डियां बनाना

दोनों पदों के प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले विधिमान्य मतों की 50 - 50 की गड्डियां बनाकर उन्हें रबड़ बैंड से बांधे ।

अंतिम गड्डी में 50 से कम मतपत्र हो सकते हैं और इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को प्राप्त कुल विधिमान्य मतों की संख्या 50 से कम हो तो उसकी एकमात्र गड्डी भी 50 से कम मतपत्रों की होगी । किसी एक अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की सभी गड्डियां एक के ऊपर एक रखते हुए उन्हें रबड़ बैंड से बांध दें और उसके ऊपर "गणना पर्ची" लगा दें । "गणना पर्ची" का प्रारूप परिशिष्ट 11 में दिया गया है ।

दोनों पदों के प्रत्येक वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिक्षेपित (खारिज) किए गए मतों की एक अलग गड्डी बनाई जाए तथा उसमें भी एक पर्ची लगाई जाए जिस का प्रारूप परिशिष्ट 12 में उद्धृत है । किसी एक वार्ड निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा विधि मान्य मतों की गड्डियां तथा उस वार्ड निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिक्षेपित मतों की गड्डी को एक साथ रबड़ बैंड से बांधकर उनका एक बंडल बनाएं ।

अभ्यर्थियों को गणना परिणाम पत्र कि सत्य प्रतिलिपि का प्रदाय

मतगणना पूर्ण हो जाने और यथास्थिति गणना परिणाम पत्र प्रारूप 16 एवं प्रारूप 17 में प्रविष्ठियां प्रमाणित कर दिए जाने के पश्चात (रिटर्निंग ऑफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी) प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके गणन अभिकर्ता को जो मतगणना समाप्त होने पर उपस्थित हो संबंधित परिणाम पत्रक सत्यप्रतिलिपि अभी प्रमाणित करने के पश्चात भी जाकर रसीद प्राप्त करें ।

पंच एवं सरपंच पद की मतगणना के उपरांत की कार्यवाहीयां

मतगणना संपन्न हो जाने के पश्चात गिने हुए मतपत्र की गड्डियों के बंडल बनाए और उन्हें सील बंद करें ।

पंचों के मतपत्र - मतपत्रों की गिनती हुई गड्डियां को वार्ड वार जमाए । किसी वार्ड से संबंधित विभिन्न अभ्यर्थियों की गड्डीयों को एक के ऊपर एक करके रखें और सबसे ऊपर उस वार्ड में प्रतिक्षेपित (खारिज) मतों की गड्डी रखें । तत्पश्चात वार्ड की समस्त गाड़ियों को एक रबड़ इंडिया धागे से बांध कर उनका एक बंडल बनाएं वार्ड बार बंडल बन जाने के बाद सभी बंडल को एक साथ रखकर उन्हें धागे से या सुतली से बांधकर निर्धारित पैकेट में रखें । उक्त पैकेट को सील बंद करें जिस भी वार्ड के मतपत्र उक्त पैकेट में रखे हैं उनका विवरण पैकेट के ऊपर दर्ज करें और पैकेट को अच्छी तरीके से सील बंद करें ।

सरपंच के मतपत्र - सरपंच के अभ्यर्थियों की गड्डीयों को एक के ऊपर एक रखें और सबसे ऊपर प्रतिक्षेपित (खारिज) मतपत्र की गड्डी रखें इसका एक बंडल बनाकर निर्धारित पैकेट में रखे उक्त दोनों को सील बंद कर दें पैकेट्स के ऊपर पूर्ण विवरण लिखें।

गणना परिणाम-पत्र

पद विशेष से संबंधित गणना परिणाम-पत्र को जिस लिफाफे में रखा जाए उसके ऊपर यथा स्थान उसकी अंतर्वस्तु का विवरण अंकित किया जाए । लिफाफे को सीलबंद करते समय जो अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन / मतगणना अभिकर्ता उस पर अपनी सील लगाना चाहे उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाए ।

मतपत्र लेखा

प्रत्येक वार्ड का प्रथक प्रथक तैयार मतपत्र लेखा प्रारूप 15 लिफाफा निर्धारित पैकेट में रखकर उसे भी सील बंद कर दें ।

अन्य कागज पत्रों को बंद करना

मतगणना से संबंधित निम्नांकित विविध कागज पत्रों को अलग-अलग लिफाफे में रखते हुए उन्हें बंद कर दें -

1. गणना अभिकर्ताओं कि नियुक्ति पत्र और उनके द्वारा की गई घोषणाएं ।
2. पुनः गणना के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र और उनके संबंध में पारित आदेश, सूची के साथ ।
3. मतगणना से संबंधित अन्य कागज पत्र सूची के साथ ।

मतदान एवं मतगणना से संबंधित सभी सामग्री प्रपत्र एवं लिफाफे सामग्री वापसी स्थल पर जमा कर रसीद प्राप्त करें ।

धन्यवाद